प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. .....70/22.....दिनांक.....3/3/2022

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018

   (II) अधिनियम ..... धारायें .....

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....(अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या .....60..... समय .....5:30 P.M.....

   (ब) अपराध घटने का दिन- बुधवार, दिनांक 02.03.2022 समय 01.27 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- भू-अभिलेख शाखा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर पश्चिम दिशा करीब 45 किमी

   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री बंशीधर यादव,

   (स) जन्म तिथी- उम्र- 38 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय - मजदूरी।

   (ल) पता- निवासी 323, पनिहारी होटल के पीछे, वार्ड नं0 12, हाड़ोता चौमू जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

(1) श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

.....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 1,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 7-02-2022 को परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी 323, पनिहारी होटल के पीछे, वार्ड नं0 12, हाड़ोता चौमू जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत पेश करी कि ''सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर विषयः- रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बन्शीधर यादव निवासी 323 पणिहारी होटल के पीछे वार्ड न0 12 हाडोता त. चौमूं जिला जयपुर का मूल निवासी हुं। ग्राम हाडोता मै हमारी सामलाती कृषी जमीन है। जिस जमीन

की मौके की स्थीती सही करवाने के लिये पुरानी खसरा जमाबन्दी की आवश्यकता है। इसलिये मै तहसील चौमूं मे जाकर रिकार्ड बाबु जो पुराना रिकार्ड रखता है। जिसको नकल प्रार्थना पत्र दिया था जिसमे नकल देने के बदले मुझसे 1000/- रू मांगे है। बाबु का नाम निरंजन शेखावत उक्त बाबु मे से पहले भी कई बार पुराने नकल लेकर गया हुं। बिना पैसो के वो नकल नही देता है। मै उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हुं। मेरी उससे कोई रंजीस या पैसे का उधार लेन देने बाकी नही है। कानूनी कारवाई करने की कृपा करे। एसडी- प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बन्शीधर यादव निवासी 323 पणिहारी होटल के पीछे वार्ड न0 12 हाडोता त. चौमूं जिला जयपुर मो0न0 9602208333 दिनांक 07.02.2022''। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत का पाया जाने पर दिनांक 8-2-2022 एवं 21-2-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी से श्री निरंजन शेखावत भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा 1000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई।

परिवादी के परिवार में मृत्यु हो जाने से परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ट्रेप कार्यवाही दिनांक 2-3-2022 को उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया जिससे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ने अपने पास से एक नोट पांच सौ रूपये, दो नोट दो दो सौ रूपये तथा एक नोट सौ रूपये का कुल 1,000/- रूपये प्रस्तुत किए है। जिन पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री रामकल्याण मीना हैड कानि0 25 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाया जाकर मांग के अनुसरण मे आरोपी को देने हेतु परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव को सुपुर्द किए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 2-03-2022 को समय 11.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर तहसील चौमू, जिला जयपुर पर पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 1.27 पीएम पर परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री बंशीधर यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी 323, पनिहारी होटल के पीछे, वार्ड नं0 12, हाड़ोता चौमू जयपुर ने भू-अभिलेख शाखा की बॉलकानी से निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक को किया। परिवादी का ईशारा पाते ही आस पास खड़े स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को ईशारा करते हुए तहसील कार्यालय चौमू के प्रथम तल पर पहूंचा जहां बॉलकानी में परिवादी खड़ा हुआ मिला जिसको पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने भू-अभिलेख शाखा की तरफ ईशारा कर बताया कि कमरे मे श्री निरंजन जी बैठे हुए है जिनकी मांग के अनुसार मैने अभी-अभी रिश्वत के रूप मे इनके मांगेनुसार 1000/- रूपये दिए है जो इन्होने अपने हाथ में लेकर अपनी पेंट की दाहिनी जेब मे रख लिए थे तथा नकल मुझे दे दी थी। इस पर परिवादी को साथ लेते हुए कमरे मे प्रवेश हुआ तो कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही निरंजन शेखावत बाबू है। इस पर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर होना बताया। इस पर श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक से परिवादी से अभी-अभी कुछ समय पहले लिए गए रिश्वत के 1000/- रूपये बाबत पूछा तो श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि मैने इनको कृषि भूमि की नकल दी थी उनके रूपये लिए है जो मैने बिना गिने ही मेरी पेंट की जेब मे रख लिए है। यह भी पूछा कि नकल के कितने रूपये बनते है इस बारे मे श्री निरंजन सिंह ने बताया कि रिकार्ड देखकर बता सकता हूं तथा यह भी बताया कि नकल तीन दिन मे देने का नियम है परन्तु स्टाफ की कमी होने के कारण समय लग जाता है तथा अपने हाथो को आपास मे रगड़ने लगा। आरोपी श्री निरंजन सिंह की बात का खण्डन करते हुए परिवादी ने बताया कि मै इनको बाबू ही समझता था इन्होने मुझे कभी भी नही बताया कि मै गिरदावर हूं। श्री निरंजन

सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक की ओर ईशारा कर बताया कि अभी-अभी कुछ समय पहले इनकी मांग के अनुसार रूपये देने व मेरी नकल लेने के लिए मै इनके पास आया तो इनके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो इनसे बात कर रहा था उसको देखकर मै बाहर खड़ा हो गया जैसे ही वह व्यक्ति निकलकर बाहर गया तो मै अन्दर इनके पास गया तो मैने जाते ही नमस्कार किया तो इन्होने मुझे कहा कि कहा बिजी हो गए थे मैने बताया कि पहले तो मेरी चाचीजी की भोजाई का देहान्त हो गया था इसके बाद मेरी चाची की मां खत्म हो गई थी आज फ्री हुआ हूं मेरे वह कागज दे दो इस पर इन्होने कागज दे दिए और मुझसे पूर्व मे मांग के अनुसार रिश्वत के 1000/- रूपये देने का हाथ की अंगूलियो को मसलकर ईशारा किया तो मैने अपने पास से 1000/- रूपय निकालकर इनको दिये थे इन्होने अपने हाथ मे रूपये लेकर अपनी पेंट की दाहिनी जेब मे रख लिए थे तथा मैने कहा था कि 1000/- रूपये है गिन लो तो इन्होने बोला कि कोई बात नही मै देख लूंगा। इसके बाद मै आपको ईशारा करने बाहर आ गया था।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनको भू-अभिलेख शाखा मे रखे केम्पर से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी भरकर गिलासो को पुनः धुलवाकर उनमे साफ पानी डालकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो हाजरीन ने गिलासो के घोल को देखकर रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास के तैयार शुदा घोल मे श्री निरंजन सिंह के दाहिने हाथ की अंगूलिया व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

इसी प्रक्रियानुसार दुसरे कांच के गिलास के तैयार शुदा घोल में श्री निरंजन सिंह के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् श्री निरंजन सिंह की पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह हेमन्त कुमार सैनी से लिवाई गई दो पेंट की दाहिनी जेब में एक छोटी नोटो की गड्डी मिली है जिनको गिनवाया गया तो 1000/- रूपये मिले है जिनमें एक नोट पांच सौ रूपये का, दो नोट दौ-दौ सौ रूपये तथा एक नोट सौ रूपये का मिला है। जिनका मिलान पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटो को एक सफेद कागज मे रख कर सिल चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

दर्ज रहे कि श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिश्वती राशि अपने हाथ में लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे रखे थे ऐसी स्थिति में पेंट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक था। अतः बाजार से एक लोवर मंगवाया जाकर बदन पर पहनी हुई पेंट बरंग सलेटी उतरवाई जाकर लोवर पहनने को दिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे पुनः धुलवाकर प्लास्टिक की बोतल से गिलास मे साफ पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा कांच के गिलास के घोल मे श्री निरंजन सिंह के बदन से उतरवाई गई पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर बारी-बारी से डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच के गिलास मे आधा-आधा डालकर कर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेंट की जेब के सुखवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक से परिवादी को दी गई नकल के संबंध में पूछा गया तो श्री निरंजन सिंह ने नकल फीस रजिस्टर देखकर बताया कि अभी-अभी कुछ समय पहले नकल

फीस रजिस्टर के क्रम संख्या 724, 725, 738, 740 पर अंकित नकले दी है उसके 176 रूपये बनते है तथा पहले भी नकल फीस रजिस्टर के क्रम संख्या 636, 637, 638, 703 की नकल जो दी है उसके 295 रूपये होते है इस प्रकार 471 रूपये होते है इसके अतिरिक्त ओर कोई नकल के रूपये इनके नही थे। श्री निरंजन सिंह की उक्त बात का खण्डन करते हुए परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि जो मैने पहले खसरा नम्बर की नकल ली थी उनकी नकल के पैसे पहले ही मै दे गया तथा नकल पर जो टिकिट लगे हुए थे यह टिकिट मै ही लेकर आया था यह जो टिकिट नकलो पर लगाये है यही फीस होती है नकल की फीस के तोर पर कोई रूपये बाकी नही थे आज जो मेने 1000/ रूपये इनको दिए है वह बतौर रिश्वत के रूप मे दिए है।

श्री निरंजन सिंह से पूछा कि नकलो पर जो टिकिट लगते है इसके अतिरिक्त ओर कोई नगद फीस भी लगती है क्या? इस पर श्री निरंजन सिंह भू-अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि राजेन्द्र प्रसाद यादव को जो नकले अभी दी है उन पर जो टिकिट लगे हुए है वही फीस होती है यह रूपये मैने नकलो पर टिकिट लगाये है उसके ही है। इस प्रकार परिवादी ने पुनः आरोपी की बात का खण्डन किया कि टिकिट पहले मे ही खरीद कर इनको देकर गया था यह झूंठ बोल रहे है

विभागीय डिजिटल वाईस रिकाडर को बारी-बारी से चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उसमे रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

दर्ज रहे कि परिवादी से नकल प्राप्त कर तथा नकल फीस रजिस्टर की फोटो प्रति करवाकर व परिवादी द्वारा पेश की गई नकल की फोटो प्रति करवाकर तहसील चौमू से प्रमाणित करवाकर पृथक से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जावेगी तथा मूल नकल वापस परिवादी को लौटाई जावेगी। रिकोर्ड के अवलोन से भी आरोपी द्वारा ली गई रिश्वती राशि 1000/- रूपये रिश्वती राशि होना रिकोर्ड से प्रमाणित है।

अब तक की कार्यवाही से श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर द्वारा परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव की कृषि भूमि की नकल देने की ऐवज में 1000/- रूपये की मांग करना तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 2-3-2022 को रिश्वत के 1000/- रूपये परिवादी से प्राप्त कर अपने हाथ में लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखना तथा रिश्वती राशि आरोपी के बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से बरामद हुए है। जिनसे इसका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपी श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह, जाति राजपूत, उम्र 51 साल निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री निरंजन सिंह, भू-अभिलेख निरीक्षक, भू-अभिलेख शाखा, तहसील कार्यालय चौमू, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 70/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 639-43 दिनांक 3.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, कं.स.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

3.3.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।